

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, अमरोहा।

सार्वजनिक नीलामी सूचना

जिला न्यायालय परिसर अमरोहा में उपलब्ध निष्प्रयोज्य फर्नीचर तथा उपकरणों जिसका मूल्यांकन अंकन रुपये 31865/-रुपये (इक्कतीस हजार आठ सौ पैंसठ रुपये) अधिशासी अभियन्ता, वि०/या० खण्ड, लोक निर्माण विभाग मुरादाबाद द्वारा किया गया है, की नीलामी दिनांक 17. 07.2025 को केन्द्रीय नज़ारत अनुभाग के सामने अपरान्ह 04:30 बजे नीलामी समिति जनपद न्यायालय अमरोहा की उपस्थिति में की जायेगी।

नीलामी हेतु इच्छुक व्यक्ति उक्त निष्प्रयोज्य **उपकरणों/फर्नीचर** का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10:00 बजे से सांय 04:00 बजे तक केन्द्रीय नज़ारत अनुभाग अमरोहा से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। नीलामी के नियम व शर्तें निम्नवत है।

1. नीलामी समिति किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर सकती है। अन्तिम बोली की स्वीकृति माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा की जायेगी।
2. प्रत्येक बोली बोलने वाले को नीलामी में भाग लेने से पूर्व 10000/-रुपये केन्द्रीय नज़ारत अनुभाग में नकद जमा करने होंगे। नीलामी समाप्त होने पर जिन व्यक्तियों की बोली अस्वीकृत होगी उसकी उक्त धनराशि तुरंत वापस कर दी जायेगी।
3. नीलामी की कार्यवाही में कोई व्यक्ति किसी अन्य की ओर से बोली के लिये तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक बोली लगाने के लिये उपस्थित व्यक्ति ने उस व्यक्ति से जिसकी ओर से वह बोली लगाना चाहता है, प्राधिकार न प्राप्त किया हो।
4. बोली बोलने वालों का यह उत्तरदायित्व होगा कि बोली से पूर्व निष्प्रयोज्य उपकरणों का विधिवत निरीक्षण कर लें।
5. जिस बोलीदाता की अंतिमबोली स्वीकार की जायेगी उसे बोली की एक तिहाई धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी तथा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अंतिम बोली स्वीकृति प्राप्त होने पर अधिक बोली बोलने वाले को एक सप्ताह में शेष धनराशि जमा करनी होगी, अन्यथा बोली निरस्त करके जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी व निष्प्रयोज्य उपकरणों को पुनः नीलाम किया जायेगा।
6. अधिकतम बोलीदाता द्वारा लगायी गयी अधिकतम अंतिम बोली में 18 प्रतिशत जी० एस० टी० जोड़ी जायेगी जो कि बोलीदाता द्वारा नियमानुसार अदा करनी होगी।
7. निष्प्रयोज्य सामग्री की अंतिम बोली माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा स्वीकृति होने अथवा अन्तिम कार्यवाही होने तक, जो बाद में हो, होने तक निष्प्रयोज्य सामग्री हस्तगत नहीं की जायेगी।
8. निष्प्रयोज्य उपकरण जहां है जैसा है कि स्थिति में नीलाम तथा हस्तगत की जायेगी।

9. नीलाम की गयी निष्प्रयोज्य उपकरण को उच्चतम बोली बोलने वाले को पूर्ण धनराशि का भुगतान करने पर ही उक्त उपकरण सुपुर्द किये जायेंगे। यदि नीलामी की शर्तों को विषय में कोई विवाद उठता है तो माननीय जनपद न्यायाधीश अमरोहा द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

10. नीलामी के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही जनपद अमरोहा में स्थित सक्षम न्यायालय में ही की जायेगी।

(संजय चौधरी)

विशेष सत्र न्यायाधीश (एस 0 सी/ एस 0 टी 0 एक्ट)

अध्यक्ष, नीलामी समिति

जिला न्यायालय, अमरोहा।